संख्या– —— / II(2)–2019–04(10)/2019

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में तड़ागताल झील के निर्माण हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान एवं डी0पी0आर0 निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2012/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27(राज्य सैक्टर) दिनांक 15 जुलाई, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में तड़ागताल झील के निर्माण हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान एवं डी0पी0आर0 निर्माण कार्ययोजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 135.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 54.00 लाख (रू0 चौवन लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2020 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि तथा डी0पी0आर0 मद के पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(viii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 254/3(150)—2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2700—मुख्य सिंचाई—80—सामान्य— 005—सर्वेक्षण तथा अन्वेषण—02—डी0पी0आर0 निर्माण(2700—80—800—09 से स्थानान्तरित)—00—42 अन्य व्यय मद कार्य के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—449/XXVII(2)/2019, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संo— 1340 (1) 2019—II(2)—04(10)/2019 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।